

**मांग संख्या 13**  
**मुख्य शीर्ष 2401**

**मद क्रमांक 1 से 9**

नये उद्यानों एवं पौधशालाओं की स्थापना अंतर्गत अन्य आकस्मिक मजदूरी तथा कार्यालय व्यय हेतु राशि ` 9.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 6401**

**मद क्रमांक 10**

छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता अंतर्गत राशि ` 7000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।